5. अंशदान कहां और कैसे जमा करवाएं:

बोर्ड निधि का लाभार्थी (कामगार) अंशदान अग्रिम में सम्बन्धित श्रम अधिकारी के पास या बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट निम्न बैंक की किसी शाखा में जो कामगार के कार्य क्षेत्र के नजदीक हो के द्वारा बोर्ड के खाते में जमा करवा सकता है।

Sr. No.	Name of Bank	A/C No.
1.	UCO Bank	09810110003411
2.	Punjab National Bank	0427000106740421

अगर लाभार्थी सीधे बैंक के माध्यम से बोर्ड के बैंक खाता में अंशदान जमा करवाता है, तो उसकी सूचना सम्बन्धित श्रम अधिकारी को भी देना जरूरी है, ताकि अंशदान की राशि अंशदाता (beneficiary) के खाता में दर्ज की जा सके।

6. योजनाओं के अन्तर्गत लाभ प्राप्ति हेतु किसे सम्पर्क करें:

लाभार्थी जो नियमित रूप से अंशदान जमा करवा रहा है योजनाओं के अन्तर्गत लाभ हेतु अपना आवेदन सम्बन्धित श्रम अधिकारी या श्रम निरीक्षक द्वारा पात्रता अनुसार बोर्ड कार्यालय को प्रेषित करवाएँ। 15 दिन के भीतर देय वांछित योजना लाभ स्वीकृत करके लाभार्थी को वितरित कर दिया जाएगा।

अधिक जानकारी के लिए निम्न श्रम अधिकारियों से सम्पर्क करें।

क्रम संख्या	श्रम अधिकारी जोन	फोन न.	क्रम संख्या	श्रम अधिकारी जोन	फोन न.
1	बिलासपुर	01978-221516	7	मंडी	01905-235542
2	बद्दी	01795-271210	8	सिरमौर	01702-226144
3	चम्बा	01899-223233	9	रामपुर	01782-234286
4	कांगड़ा	01892-225329	10	शिमला	0177-2624706
5	किन्नौर	01786-222007	11	सोलन	01792-230745
6	कुल्लू	01902-223698	12	ऊना	01975-224243

इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए बोर्ड के निम्न अधिकारियों से भी सम्पर्क कर सकते हैं :

1. अध्यक्ष बोर्ड, दूरभाष : 0177-2625084, मो. : 94180-83100
2. सचिव 0177-2620210
3. सहायक नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) 0177-2620256

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड

(हि. प्र. बिल्डिंग एण्ड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्ज़ वेल्फेयर बोर्ड)

ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला

द्वारा कामगारों के लिए आकर्षक कल्याणकारी योजनाएं "श्रम को सम्मान"

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड का गठन 2 मार्च, 2009 को हिमाचल प्रदेश के भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में कार्यरत समस्त कामगारों व उनके परिजनों को कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से किया गया है।

1. भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कौन:

निर्माण श्रमिक से अभिप्राय: ऐसे व्यक्ति से है, जो किसी भवन या निर्माण कार्य में कुशल, अर्धकुशल या अकुशल श्रमिक के रूप में या मैनुअल, लिपिकीय कार्य, सुप्रवाईजर या तकनीकी, वेतन या पारिश्रमिक के लिए कार्य करता है। जैसा कि मिस्त्री, पेन्टर, प्लम्बर, वैल्डर, इलैक्ट्रीशियन, कारपेन्टर, मज़दूर व हैल्पर आदि कामगार की श्रेणी में आते हैं।

2. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य क्या है?

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार, अधिनियम, 1996 की धारा 2 डी के अनुसार भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य से तात्पर्य भवनों, मार्गों, सड़कों, रेलवे, ट्रामवे, हवाई अड्डा, सिंचाई, जल निकास, तट बंध, नौ परिवहन, बाढ़ नियंत्रण कार्य, वर्षा जल निकास कार्य, विद्युत के उत्पादन, पारेषण एवं वितरण, जल सम्बंधी कार्य (जिसमें जल के वितरण के लिए चैनल), तेल तथा गैस स्थापना सम्बंधित कार्य, विद्युत लाईनों, बेतार, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, तार तथा ओवरसीज संचार माध्यमों, बांधों, नहरों, जलाशयों, सुरंगों, पुल-पुलियों, पाईप लाईनों, टावर, शीतलन टावर, पारेषण टावरों को निर्माण कार्यों में सम्मिलित किया गया है। इस के अतिरिक्त निर्माण, आलट्रेशन, मुरम्मत, रख-रखाव या निर्माण गिराया जाने से सम्बंधित काम निर्माण कार्य में शामिल हैं। इसमें ऐसे अन्य कार्य भी शामिल किए जाएंगे, जो सम्बंधित सरकार द्वारा अधिसूचित किए जा सकते हैं, परन्तु इसके अन्तर्गत ऐसे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य सम्मिलित नहीं होंगे, जिनमें कारखाना अधिनियम 1948 अथवा माईनज़ अधिनियम, 1952 के प्रावधान लागू होते हैं।

3. पंजीकरण कैसे करवाएं:

i) पंजीकरण के लिए कामगार की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा उसने पिछले 12 मास के अन्दर कम से कम 90 दिन तक ऐसे निर्माण संस्थान में कार्य किया हो, जिस नियोक्ता ने पिछले 12 मास में किसी एक दिन, 10 या इससे अधिक कामगारों को कार्य पर कार्यरत किया हो।

ii) पंजीकरण के लिए कामगार को दो पासपोर्ट फोटो सहित आयु प्रमाण के लिए निम्न दस्तावेज में से किसी एक की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी : (क) स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र (ख) जन्म और मृत्यु से सम्बद्ध रजिस्ट्रार से प्रमाण पत्र (ग) ड्राइविंग लाइसेंस (घ) वोटर कार्ड (ङ) अन्य (आधार) पहचान कार्ड (च) परिवार रजिस्ट्रर की प्रति (छ) मनरेगा जॉब कार्ड (ज)नियोक्ता (Employer) से आयु प्रमाण पत्र

(झ) श्रम अधिकारी द्वारा सत्यापित पहचान कार्ड की प्रति पर भी आयु सबूत के लिए विचार किया जाएगा।

उपरोक्त (क) से (झ) में दर्शित दस्तावेजों के न होने की स्थिति में, सरकारी सेवारत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया, आयु प्रमाणपत्र भी मान्य होगा।

iii) कामगार को आवेदन के साथ नियोजक (Employer) या ठेकेदार से मज़दूरी पर्ची या नियुक्ति पत्र जिस में स्पष्ट हो कि वह निर्माण कामगार है, प्रस्तुत करना होगा। यदि ऐसा प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो तो पंजिकृत निर्माण कामगार यूनियन द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र या सम्बन्धित क्षेत्र के श्रम निरीक्षक द्वारा या पंचायत के कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र पर भी विचार किया जा सकता है।

iv) पंजीकरण हेतु सम्बन्धित क्षेत्र का श्रम अधिकारी या श्रम निरीक्षक कामगार की सहायता करेगा तथा श्रम अधिकारी कामगार का पंजीकरण करेगा।

v) पंजीकरण शुल्क केवल मात्र 5/- रु. एक ही बार देय है।

vi) बोर्ड का सदस्य लगातार बने रहने के लिए एवं योजनाओं का लाभ उठाने हेतु कामगार (लाभार्थी) को 10/- रूपये प्रति माह की दर से अग्रिम में अंशदान जमा करवाना होगा। जिसे लाभार्थी वार्षिक 120/- रूपये या अर्धवार्षिक 60/- रुपए अपनी सुविधा अनुसार बोर्ड के खाते में जमा करवा सकता है।

4. पंजीकृत कामगारों के लिए लाभकारी योजनाएं :

"श्रम को सम्मान"

क्र.सं.	योजना	पात्रता	देय राशि
1.	बीमा और स्वास्थ्य कवर	सदस्यता	बोर्ड द्वारा निम्न बीमा एवं स्वास्थ्य योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। **1) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना:** इसके अन्तर्गत लाभार्थी पति/पत्नी एवं परिवार के अन्य तीन सदस्यों को 30,000/- रुपए तक मुफ्त इलाज करवाने का प्रावधान है। **2) जन श्री बीमा योजना:** इसके अन्तर्गत लाभार्थी/आश्रितों को निम्न लाभ प्राप्त हैं : 1. कामगार की कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर आश्रितों को राशि 75,000/- रुपये और मृत्यु प्राकृतिक स्थिति में होने पर 30,000/- रुपये मुआवजा राशि देय होगी। 2. अगर कामगार की कार्य के समय दुर्घटनावश पूर्ण अपंगता होती है तो उस स्थिति में कामगार को 75,000/- रुपये और 50% तक अपंगता होने पर 37,500/-रुपये मुआवजा राशि देय है। कामगार के दो बच्चों की पढ़ाई (नौवीं से बाहरवीं स्तर तक) के लिए 100/-रुपये प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति का प्रावधान है।
2.	मातृत्व/पितृत्व प्रसुविधा	छः माह सदस्यता	महिला लाभार्थी को प्रसूति के दौरान मुवलिक 10,000/- (दस हजार रूपये) राशि देय होगी। पुरूष लाभार्थी रूपये 1000/- (एक हजार रुपये) के लिए हकदार होगा। यह सुविधा दो बच्चों तक ही देय होगी।
3.	पेंशन	तीन वर्ष सदस्यता	500/- रूपये प्रतिमाह। पांच वर्ष से आगे की सेवा के प्रत्येक सम्पूर्ण वर्ष के लिए 20/- रुपए वृद्धि का प्रावधान है।
4.	भवन खरीद एवं निर्माण हेतु अग्रिम राशि	पांच वर्ष सदस्यता	50,000/- रूपये (पच्चास हजार) तक के ऋण का प्रावधान।
5.	अपंगता पेन्शन	छः माह सदस्यता	500/- रूपये प्रतिमाह। इसके अतिरिक्त 50 प्रतिशत या इससे अधिक अपंगता होने पर 10000/- रुपये अनुदान राशि देय होगी। अन्य मामलों में मुबलिक 5000/- (पांच हजार रूपये एक मुश्त देय होंगे)।
6.	औजार खरीद हेतु	एक वर्ष	रूपए 6000/- (छः हजार रुपए) तक का ऋण।
7.	अन्तिम संस्कार सहायता	सदस्यता	नाम निर्देशित आश्रितों को 5000/- (पांच हजार रूपये) की राशि देय होगी।
8.	मृत्यु प्रसुविधा (लाभ)	सदस्यता	सदस्य की मृत्यु होने पर 15,000/- (पन्द्रह हजार) रूपये। यदि मृत्यु कार्य के दौरान दुर्घटना से होती है तो नाम निर्देशितों/आश्रितों को मुवलिक 50,000/- (पच्चास हजार) रूपये की राशि दी जाएगी।
9.	चिकित्सा सहायता	सदस्यता	पांच दिन तक अस्पताल में उपचाराधीन रहने पर 200/- रूपये (दो सौ रूपये) और अगले प्रत्येक दिन के लिए 20/- रूपये स्वीकृत होंगे। यह सुविधा रोगी को अगर उसके निवास पर प्लास्टर लगा हो तब भी देय होगी। अधिकतम 1000/- (एक हजार) रूपये देय होंगे।
10.	शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता	छः माह	बोर्ड के निधि के सदस्यों के दो बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रति वर्ष निम्न दर से सहायता प्रदान की जाएगी।

क्रम सं.	स्तर	राशि	क्रम सं.	पाठ्यक्रम	राशि
1.	पहली कक्षा से पांचवीं तक	500.00	5.	क. स्नातक कक्षाएं: 1. कला	2000.00
				2. बी .एस.सी./बी. कॉम/ बी.बी.ए. या इसके समतुल्य	2500.00
2.	छठी से आठवीं तक	800.00		ख. स्नातकोतर: 1. कला एवं वाणिज्य संकाय	3000.00
				2. विज्ञान-संकाय	3500.00
3.	नौवीं से दसवीं तक	1000.00		डिप्लोमा पाठ्यक्रम अवधि: 1. एक वर्ष	2000.00
				2. दो वर्ष	2500.00
				3. तीन वर्ष	3500.00
4.	10+1 एवं 10+2 तक	1500.00		व्यवसायिक पाठ्यक्रम - उपलब्धियां	8000.00
				पी एच डी./ अनुसंधान पाठ्यक्रम	10,000.00

क्र.सं.	योजना	पात्रता	देय राशि
11.	शादी हेतु वित्तीय सहायता	6 माह	दो बच्चों के विवाह हेतु मुवलिक 11,000/- (ग्यारह हजार) प्रत्येक बच्चा। निधि की महिला सदस्य भी अपने विवाह हेतु इस सहायता की पात्र होगी।
12.	महिला साईकिल	एक वर्ष	मुवलिक 2000/- रूपये की राशि स्वीकृत होगी।
13.	कर्मकार ट्रांजिट हॉस्टल	सदस्यता	बोर्ड आवश्यकता अनुसार कुछ शर्तों के अधीन कर्मकार ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण करेगा या भवन किराए पर भी लेगा, जिस में ठहरने की सुविधा प्रदान की जायेगी।

''सुविधाओं के लाभ प्राप्ति हेतु कामगारों को बोर्ड के साथ अपना पंजीकरण तथा नियमित अंशदान जमा करवाना अनिवार्य है।''